न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 08/16 दायरा दिनांक 18.02.2016

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

सत्यनारायण सोनी पुत्र अशोक सोनी जाति सुनार निवासी जलवाडा किशनगंज जिला बारां।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. रामलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति सहरिया निवासी जलवाडा किशनगंज जिला बारां।
2. सूरज बाई पत्नि रामलाल जाति सहरिया निवासी जलवाडा किशनगंज जिला बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज जिला बारां राज.।

–रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :–

श्री विजय नागर, अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री नरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू. राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 30.7.2019

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम जलवाडा पटवार हल्का जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां के माल में आराजी खाता संख्या नया 486 पुराना। ख.सं. 1097/474 रकबा 5 बीघा अवस्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का अर्सा 40 वर्ष से अपने पिता के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, पूर्व में उक्त आराजी को प्रार्थी के पिता व बाद प्रार्थी काश्त कर रहा है, प्रार्थी ने ही उक्त आराजी में इस वर्ष सोयाबीन व धनिया की फसल बोई व काटी है।

यह कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गलत व अवैधानिक रूप से मौके पर भूमि खाली न होने के बाबजूद बिना जांच पडताल व छानबीन के प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को अप्रार्थीगण के नाम गलत रूप से आवंटन कर दिया गया है। जबकि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसलिए उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है।

आवंटन प्रपत्र पर आवंटी सूरजा बाई के कहीं कोई हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी नहीं है, सूरजांबाई को उक्त आराजी का किसी प्रकार से आवंटन किया गया समझ से परे है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया विवादित भूमि का आवंटन अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। जब अप्रार्थी क्रम 2 ने भूमि आवंटन हेतु

कोई आवेदन ही नहीं किया तो उसे किस आधार पर भूमि आवंटन कर दी गई। विवादित आराजी पर लगातार प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्त करवाकर उक्त आराजी को अपने नाम आवंटन करवाकर खातेदारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। यह कि विवादित आराजी पर प्रार्थी लम्बे समय से काबिज काश्त होने व वर्तमान में कब्जा काश्त होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण का नाम उक्त आराजी से खारिज करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण को किया गया विवादित आराजी का आवंटन प्रपत्र पर अप्रार्थी क्रम 2 सूरजांबाई के कोई अंगुठा, निशानी / हस्ताक्षर नहीं होने से स्पष्ट पता चलता है कि उक्त आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से किया गया जो निरस्त होने योग्य है।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई, बहस के दौरान प्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थी रामलाल व सुरजा बाई को संयुक्त आवंटन दिखाया है जबकि आवंटन प्रपत्र पर सुरजा बाई के न तो, हस्ताक्षर है और नहीं अंगुठा निशानी है अर्थात् सूरजा बाई ने आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया अतः आवंटन विधी विरूद्ध है। मैंने मेरे कब्जे काश्त बाबत् पंडौसियों के शपथ पत्र पेश किये है। जो तस्दीक करते है कि मौके पर प्रार्थी सत्यनारायण का ही कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

बहस अप्रार्थी सुनी गई। अप्रार्थी ने बहस के जबाब में कहा कि कोई भी आवंटन गलत तथ्य पेश कर धोखा धडी से कराया गया हो तभी खारिज हो सकता है। दोनों अपनढ़ है। गरीब सहरिया है, भूमिहीन है। रोजी रोटी का अन्य जरिया नहीं है। कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी भी मिल गई है। खातेदारी मिलने के पश्चात् 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं हो सकता है। प्रार्थी धनाड्य सुनार जाति के प्रभावशाली व्यक्ति है, हमारी भूमि हडपना चाहते है। अप्रार्थीगण गरीब सहरिया परिवार के है उक्त आवंटन निरस्त हो गया तो रोजी रोटी का संकट खडा हो जावेगा अतः प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमावें।

हमने बहस अभिभाषकगण का मनन करने व पत्रावली का अवलोकन कर विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण आवंटी दोनों पति–पत्नि है। आवंटन बाबत् पूर्व में ऐसे निर्देश थे कि आवंटन पति–पत्नि के संयुक्त नाम से किया जावे। आवंटन प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी आवंटी रामलाल की पत्नि के हस्ताक्षर नहीं होना लिपिकीय त्रुटि हो सकती है। इसलिए प्रार्थी का कथन की अप्रार्थीया क्रम 2 ने आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण को खातेदारी प्राप्त हो चुकी है तथा आवंटन में कोई गम्भीर अनियमित्ता भी साबित नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनान्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1971 को खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:53:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: